भू-अर्जन में देरी पर हाई कोर्ट सख्त : नया रायपुर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही निरस्त, अवार्ड रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, विलासपुर: नया रायपुर में भूमि अधिग्रहण के एक वर्ष बाद पारित अवार्ड को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने भू-अर्जन प्रक्रिया को शून्य और कालातीत घोषित करते हुए शासन और नया रायपुर विकास प्राधिकरण की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को पूर्व में दिए गए मुआवजा की राशि शासन को वापस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह याचिका सिविल लाइंस रायपुर निवासी उषा देवी सिंघानिया द्वारा दाखिल की गई थी। उनकी भूमि ग्राम निमोरा और नवागांव में स्थित थी, जिसे नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत प्रारंभ की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 लागू हो गया था। नए अधिनियम की धारा 25 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 19 के प्रकाशन की तारीख से 12 माह में अवार्ड पारित करना अनिवार्य है।

हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि, नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू होने के बाद धारा 19 के अंतर्गत 12 माह की समयसीमा बाध्यकारी है। इस सीमा का उल्लंघन कर पारित अवार्ड को कोर्ट ने क्षेत्राधिकारविहीन और अवैध घोषित किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में यदि समयसीमा का पालन नहीं किया गया है, तो संपूर्ण भू-अर्जन प्रक्रिया शून्य मानी जाएगी। कोर्ट ने शासन को यह स्वतंत्रता दी है कि वह यदि आवश्यक समझे तो नए अधिनियम के अंतर्गत पुनः विधिवत अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने पक्ष रखा और कानूनी बिंदुओं के साथ यह स्पष्ट किया कि पुराने और नए अधिनियम के अंतर्गत अंतर को कैसे अनदेखा किया गया। उनके तर्कों को हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को मंजूर किया।